

RBENo.- 7215

CPO's Sl. No. 9215

No. E/161/01 ECR/HJP

dated : 22/5/15

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू०म०रे०, हाजीपुर
3. DRM/पूमरे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / पूमरे / हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पूमरे / हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी / मुगलसराय, यात्रिक कारखाना / समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
10. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकाय्याधी / कार्याधी / पूमरे / हाजीपुर

विषय / Sub. *Grant of special leave to the Rly. staff who remained absent from duty to Huddud cyclone that affected badly coastal areas of Andhra Pradesh and Odisha states and the flash floods in Jammu and Kashmir state.*
संदर्भ / Ref: *Rly. Bd's letter no. E/6/2015/BE L-1 dt 30/6/15*

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।

DA : As above.

वकाधि / ESM एवं कलिंग
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पूमरे / हाजीपुर।
2. महासचिव / एस०सी० / एस०टी० एशोसिएशन / पूमरे / हाजीपुर।
3. जकाई (एपीडी), पू०/हाजीपुर; कृपया डॉ. नेट पर आपकी आर्ग-लागू भा. ४८।
4. महासचिव / एस०सी० एशोसिएशन / पूमरे / हाजीपुर

CPD

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर
रेलवे बोर्ड का एक प्रार्थन सं.
दिनांक 6/7/15

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड

RBE No. 72/201

No. E(G)2015/LE 1-1

Rail Bhawan, New Delhi, dated 30-06-2015

The General Manager(s)
East Coast Railway, Bhubaneswar.
Northern Railway, Baroda House, New Delhi

Sub: Grant of special leave to the Railway staff who remained absent from duty to Hudhud Cyclone that affected badly coastal areas of Andhra Pradesh and Odisha States (EcoR) and the flash floods in Jammu and Kashmir State.

The matter regarding grant of Special Casual Leave to Railway employees who could not attend duty due to hudhud cyclone which badly affected the coastal areas of Andhra Pradesh and Odisha States in the 2nd week of October, 2014, and the flash floods in the State of Jammu and Kashmir, was taken up by All India Railwaymen's Federation(AIRF).

The issue has been carefully considered by the Board and it has been decided that Special Casual Leave upto a maximum of three days may be granted to the affected employees who stay at places far away from their Headquarters, as a result of which they have to commute a long distance to their office, and due to dislocation of traffic arising out of the aforesaid natural calamities they were not able to undertake the journey and report to the Headquarters for duty.

This issues with the concurrence of the Finance Dte. of Ministry of Railways.

(D. Joseph)
Dy. Dir. Estt. (Genl.) III

New Delhi, dated 30/06/2015

No.E(G)2015/LE 1-1

Copy to the : FA&CAO, East Coast Railway, Bhubaneswar, & Northern Railway, Baroda House, New Delhi.

(D. Joseph)
Dy. Dir. Estt. (Genl.)
New Delhi, dated 30/06/2015

No.E(G)2015/LE 1-1

Copy to:

- (i) The Principal Director of Audit, East Coast Railway, Bhubaneswar & Northern Railway, Baroda House, New Delhi.
- (ii) The Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

for Financial Commissioner/Railways

New Delhi, dated 30.06.2015

No. E(G)2015/LE 1/1

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares)
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares)
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares)
4. The Secretary General, FROA
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association

आरबीई सं. 72/2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी)/2015/एलई1-1

नई दिल्ली, दिनांक: 30-6-2015

महाप्रबंधक
पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर,
उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली.

विषय: उन रेल कर्मचारियों को विशेष अवकाश प्रदान करना जो हुदहुद चक्रवात जिसने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के तटीय क्षेत्रों (पूर्वतट रेलवे) को बुरी तरह प्रभावित किया था, के दौरान और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आई आकस्मिक बाढ़ के दौरान इयूटी के लिए उपस्थित न हो सके थे।

ऑल इण्डिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ) द्वारा उन रेल कर्मचारियों जो हुदहुद चक्रवात जिसके कारण अक्टूबर, 2014 के दूसरे सप्ताह में आंध्रप्रदेश और उड़ीसा राज्यों के तटीय क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए थे, के दौरान और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आई आकस्मिक बाढ़ के दौरान इयूटी पर नहीं आ सके थे, को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के मामले को उठाया गया था।

बोर्ड द्वारा इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि उन प्रभावित कर्मचारियों, जो अपने मुख्यालय से काफी दूर रहते हैं, परिणामतः उन्हें अपने कार्यालय पहुँचने के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है और उपर्युक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण यातायात बाधित होने के फलस्वरूप वे यात्रा करने और इयूटी के लिए मुख्यालय में रिपोर्ट करने में असमर्थ रहे, को अधिकतम तीन दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

डी. जोसफ
(डी. जोसफ)

उप निदेशक, स्था. (सा.) III